

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): ग्वालियर

P.S. (थाना): हजीरा

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0127

Year (वर्ष): 2025

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 23/03/2025 23:13 बजे

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम)

Sections (धारा(एँ))

1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 69
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 64
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 89
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 351(3)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन):

Date From (दिनांक से):

Date To (दिनांक तक):

दरमियानी दिन

28/03/2024

29/08/2024

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से):

Time To (समय तक):

02:00 बजे

22:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 23/03/2025

Time (समय): 20:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 082

Date & Time (दिनांक और समय): 23/03/2025 23:08

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 2 किमी
Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): चार शहर का नाका हजीरा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): आरती देवी

(b) Father's Name (पिता का नाम):

बाबूलाल

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 2002

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
S.No.(क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	कमलेश खुडासिया का मकान, गणेशपुरा मुरैना, मुरैना, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम हरसकरी, उचावर, उंचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8739061300

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	पुष्पेन्द्र रावत /Pushpendra			1. बरौठा ग्राम, सबलगढ़, सबलगढ़, मुरैना, मध्य प्रदेश,

	rawat		भारत
--	-------	--	------

2	पान सिंह रावत /Pan singh rawat		1. गढ़ी पुरा, जौरा, मुरैना, मध्य प्रदेश, भारत
---	-----------------------------------	--	---

3	अरविन्द रावत /Arvind rawat		1. ग्राम बरौठा, सवलगाढ़, सवलगाढ़, मुरैना, मध्य प्रदेश, भारत
---	-------------------------------	--	---

4	रीना रावत/Reena rawat		1. गढ़ी पुरा, जौरा, जौरा, मुरैना, मध्य प्रदेश, भारत
---	-----------------------	--	---

5	मनु शर्मा/Manu sharma		1. सवलगाढ़, सवलगाढ़, मुरैना, मध्य प्रदेश, भारत
---	-----------------------	--	--

6	राजेश शर्मा/Rajesh sharma		1. सवलगाढ़, सवलगाढ़, मुरैना, मध्य प्रदेश, भारत
---	---------------------------	--	--

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

डर एवं भय के कारण

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

फरियादिया आरती देवी पुत्री बाबूलाल उम्र 23 साल निवासी ग्राम हरसकरी तहसील उचावर जिला रायचरेली उ.प्र. हाल निवासी कमलेश खुडासिया का मकान गणेश पुरा मुरैना ने उपस्थित थाना आकर एक टाईप शुटा आवेदन पत्र पेश किया जिसका मजबूत हस्तजेल है। प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना हजीरा ग्वालियर म.प्र. विषय:- आवेदिका को शादी का झूठा झांसा देकर एवं अश्लील वीडियो बनाकर स्वयं एवं अपने जीजा द्वारा शारीरिक शोषण करने के दौरान गर्भवती होने पर जबरन जान से मारने की धमकी देकर गर्भपात करवाये जाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आवेदिका आरती देवी पुत्री श्री

बाबूलाल उत्तरप्रदेश जिला रायबरेली की रहने वाली अनुसूचित जाती (पासी) है और वर्तमान में मुरैना मध्यप्रदेश में रहकर अपनी नर्सिंग की शिक्षा हेतु अध्ययनरत है। आवेटिका ने नर्सिंग कालेज आर.एल.नर्सिंग कालेज ए.वी.रोड टेकरी मुरैना में प्रवेश सन् 2021 को लिया था इसी दौरान मेरी मुलाकात सहेली के दोस्त के दोस्त अनूप रावत जिसका मोबा. नम्बर 7389679457 है। अनूप ने ही पुष्पेन्द्र रावत से ही जान पहचान करवाई थी। पुष्पेन्द्र के मोबा.नम्बर (9755346566, 8319931947, 8269214942) है। श्रीमान पुष्पेन्द्र रावत ने मेरा मोबाईल नम्बर लेकर मुझे शादी का वादा करके मुझसे बात करने लगा पुष्पेन्द्र रावत के भतीजे कुलदीप रावत जो कि ग्वालियर में चारशहर का नाका हजीरा ग्वालियर में रहता है उसके कमरे पर बात करने के वहाँ दिनांक 28/03/2024 को बुलाकर मुझसे जबरदस्ती बलात्कार किया एवं उस दौरान उसने अश्लील वीडियो भी बनाया जिसका मैंने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी थी। फिर पुष्पेन्द्र मुझे अश्लील वीडियो का वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा इसी दौरान दिनांक 05/04/2024 को मुरैना में जबरदस्ती मेरे कमरे पर आया और जबरदस्ती पूरी रात मेरे साथ बलात्कार किया इसी दौरान मे गर्भवती हो गई। गर्भवती होने पर मैंने पुष्पेन्द्र को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और अब तुम मुझसे शादी कर लो तो वह जान से मारने की धमकी देकर कहने लगा कि गर्भपात करवा दो तो मैंने उसकी बात को मानने से इन्कार कर दिया और कहा कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था तो तुम मुझसे शादी करो तब पुष्पेन्द्र ने अपना मोबाईल वन्द कर लिया और मुझे ब्लॉक कर दिया इसके बाद मैंने उसके बड़े जीजा पानसिंह रावत को फोन किया इसका मोबाइल नम्बर -9131201841 है। उस पर फोन करने पर बात हुई मैंने पुष्पेन्द्र द्वारा प्रेग्नेंट होने की बात बताई तब पानसिंह ने कहा कि हमारे घर जौरा आ जाओ मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मैंने पानसिंह से कहा कि मैं आपका घर नहीं जानती हूँ कि आपका घर कहाँ पर है तो उसने कहा कि मैं बुलेरी गाड़ी से तुम्हें मुरैना से जौरा ले जाऊंगा मैंने कहा कि ठीक है ले जाओ इसके बाद पानसिंह मुझे बुलेरी गाड़ी से लेने मुरैना आया और अपने जौरा वाले मकान पर ले जाकर बताया कि पुष्पेन्द्र ने जो वीडियो तुम्हारा बनाया है वह मेरे पास भी है इस धमकी के बाद पानसिंह ने भी मेरे साथ बलात्कार किया और उसके बाद धमकी दी की मैं और पुष्पेन्द्र तुम्हें जान से मार देंगे साथ ही वीडियो वायरल कर देंगे अगर तुमने हम लोगो के खिलाफ कोई कार्यवाही की। पानसिंह का गांव गढीपुरा जौरा है। हार थक कर यह बात पुलिस आरक्षक अतेंद्र रावत जोकि पुष्पेन्द्र का चचेरा भाई है जिसकी पोस्टिंग ग्वालियर में उसको भी मैंने यह बात बताई थी उसने भी मेरी मदद करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद मैंने अरविन्द को जोकि पुष्पेन्द्र का बड़ा भाई है उसको सारी बातें बताई तब पुष्पेन्द्र ने दिनांक 18/07/2024 को फोन करके मुझे सबलगढ सन्तर नम्बर 04 पर बुलाया वहाँ से मुझे लेकर मरघट के आगे जंगल में ले जाकर मेरे साथ फिर बलात्कार किया और जान से मारने की नियत से मेरा गला दवाने की कोशिश की। मैं अनुनय विनय करके किसी तरह इसके हमले से बची। तब मैं परेशान होकर पुष्पेन्द्र के गांव वरौठा विजयपुर जो मेरी जानकारी में नहीं था पूछते पूछते उसके घर गई वहाँ पर उसकी माँ एवं बड़ी बहन रीना और छोटी बहन राधा एवं बड़ा भाई अरविन्द सभी लोग मिले जिनको पुष्पेन्द्र एवं पानसिंह की सारी करतूतें बताई। इसके साथ ही मैंने यह भी बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तब इन सब लोगो ने मुझे बताया कि पुष्पेन्द्र तो घर पर नहीं है मैं तुम्हारे पेट दर्द का इलाज करवा देते हैं। मैं रात को इनके गांव वरौठा जोकि दिनांक 26 अगस्त 2024 को शाम को पहुची और रात भर इनके घर पर रुकी सुबह दिनांक 27 अगस्त 2024 को पुष्पेन्द्र की बड़ी बहन रीना और उसका बड़ा भाई अरविन्द रावत मोटरसाईकिल से मुझे पेट दर्द के इलाज हेतु सबलगढ के के.डी.हॉस्पिटल सन्तर नम्बर 04 मैं डॉ.मनु शर्मा एवं डॉ.राजेश शर्मा के यहाँ इलाज हेतु भर्ती करवा दिया। डॉ. राजेश शर्मा से रीना का जीजा जो कि शिक्षक है उसने ही इलाज हेतु भर्ती करवाया था क्योंकि डॉ.उस शिक्षक के कहने पर ही इलाज कर रहा था बाद में मेरी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती मेरा गर्भपात करवा दिया मेरे रोने एवं चिल्लाने पर इन लोगो ने कहा कि जब तक गर्भपात नहीं करवाओगा तब तक तुम्हारी शादी पुष्पेन्द्र से नहीं हो सकती और तुम्हें किसी के सामने मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर मेरा डॉ.मनु शर्मा एवं डॉ.राजेश शर्मा ने मेरी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती गर्भपात किया गर्भपात के दौरान मैंने डॉ.का एवं वज्र का वीडियो एवं फोटो भी खींचे लिये थे उसी दौरान डॉ. ने मेरा मोबाईल छीनकर रीना को दे दिया और कहा कि यह सबूत बना रही है इसके सारे वीडियो एवं फोटो

डिलीट कर दो मगर डॉ. को रीना पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने रीना के हाथ से मोबाईल लेकर डॉ. राजेश शर्मा ने खुद सारे सबूत मेरे मोबाईल से डिलीट कर दिये और धमकी दी कि मुझे फसाना चाहती हो मैं तुम्हारे कॉलेज के डायरेक्टर के बारे में कहा कि वह हमारे मित्र है अगर तुमने इस संबंध में कुछ भी किया तो तुम्हें परीक्षा में फेल करवा कर तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगा इस कारण से भी मैं भयभीत हो गयी। गर्भपात करवाने से पहले रीना का जीजा शिक्षक जो की शासकीय शिक्षक है उसने ही डॉ. और रीना की बात 25,000/- में करवाई थी। श्रीमान इसके बाद रीना ने मेरा मोबाईल भी छीन लिया था ताकि मैं सबूत न रख सकूँ रीना ने मेरे तथा पुष्पेन्द्र की व्हाट्सप चैटिंग और फोन कॉल डिटेल् एवं साथ खींचे गये फोटो सब डिलीट कर दिये जिससे मैं कुछ कार्यवाही न कर सकूँ। श्रीमान मुझे दिनांक 27/08/2024 को भर्ती करवाया गया और 28/08/2024 को मेरा गर्भपात करवाया इसके बाद 29/08/2024 को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया डिस्चार्ज करते समय भी डॉ. मनु शर्मा एवं डॉ. राजेश शर्मा सर ने मुझे फिर से धमकी दी थी कि ज्यादा दिमाग मत चलाना शांति से घर पर रहकर पढ़ाई करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। श्रीमान रीना एवं पुष्पेन्द्र के बड़े भाई अरविन्द ने मुझे अस्पताल से निकालने के बाद मुरैना वाली बस में बैठते समय फिर से जान से मारने की धमकी दी कि तुमने हम लोगो के खिलाफ कुछ भी कार्यवाही की तो तुझे जिन्दा नहीं छोडेगे इस कारण भी मानसिक एवं शारीरिक सतुलन ठीक नहीं था गर्भपात की पीड़ा से भी ग्रस्त थी और मैं अत्यधिक डर गई थी कि डॉ. परिवार और रावत परिवार मेरी हत्या न करवा दे। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पुष्पेन्द्र रावत निवासी बरौठा तहसील विजयपुर उसका जीजा पानसिंह रावत निवासी गांव गादीपुरा एवं हाल निवासी जौरा के खिलाफ बलात्कार एवं रीना का रिश्तेदार शिक्षक, एवं पुष्पेन्द्र का बड़ा भाई अरविन्द एवं बड़ी बहन रीना रावत, एवं डॉ. मनु शर्मा, एवं डॉ. राजेश शर्मा के खिलाफ जबरन गर्भपात किये जाने और जान लसे मारने की धमकी का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आवेदिका को न्याय दिलाने की कृपा करे। स्थान ग्वालियर दिनांक 23/03/2025 आवेदिका हस्ताक्षर अंग्रेजी आरती देवी मोबा-8739061300 प्रतिलिपि 01. श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना हजीरा। 02. श्रीमान हरिजन थाना प्रभारी महोदय जिला ग्वालियर। 03. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला ग्वालियर। 04. श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय ग्वालियर। 05. श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध शाखा ग्वालियर। 06. श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय पीएचक्यू भोपाल। उपरोक्त मजबूत पर से प्रथम दृष्टया अपराध धारा 69, 64, 89, 351(3) बीएनएस व पाया जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया जाता है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मर उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Narendra Chhikara
No. (सं.): 00
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

to take up the investigation

(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):